

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 27-07-2021

आज दिनांक 27.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

01 किलो 300 ग्राम ग्राम अवैध गाँजे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा एक अभियुक्त नाम पता सुनील अशरफ पुत्र स्व0 मो0 याकूब निवासी परदेशवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को 01 किलो 300 ग्राम अवैध गाँजे के साथ गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 518/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री चन्दन कुमार, हे0का0 मुरली, हे0का0 रामरतन तिवारी ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 20 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
।इउ

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1483 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत धौरहरा से इवेन्ट संख्या 07661 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति (रमेश पुत्र सोहन निवासी ग्राम धौरहरा) के घायल के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर तत्काल 03 मिनट में पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में

घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु०आ० चन्द्रभान मिश्र, आ० फूलबदन यादव, हो०चा० पवन पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 68 वाहनो से 66500 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 27.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 68 वाहनो से 66500 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया।